रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 दिसम्बर, 1984/10 अग्रहायण, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 21 नवम्बर, 1984

संख्या पी० सी० एच-एच० ए० (5)-32/82.—जिलाधीश लाहौल-स्पिति के कार्यालय आदेश संख्या एच०एच०पी०-पंच० (ए-1)-20/81-1605-9 दिनांक को अधिलंघित करते हुए क्योंकि ग्राम पंचायत तावों के निरीक्षण करने पर प्रधान ग्राम पंचायत तावों के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सामने आया है:—

> रोकड़ पृ० 40 दिनांक 21-12-83 को मु० 4100 रुपये 13 मजदूरों को मजदूरी बाबत गली निर्माण तावों दर्शाया है परन्तु जो मस्ट्रोल प्रलेख में हैं उसमें केवल दो मिस्त्री ही दर्शाए गए हैं तथा उन्हें मु० 900 रु० अदायगी की गई है। बाकी न तो 11 मजदूरों का मस्ट्रोल में कोई नाम व पता है। इस प्रकार मु० 3200 रु० का गवन हुआ प्रतीत होता है,

और क्योंकि उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए जाँच करवानी आवश्यक है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्रधान, ग्राम पंचायत तावो, विकास खण्ड स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति के विरुद्ध लगाये गये आरोप में वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच करवाने हेतु उपमण्डलाधिकारी (ना०) काजा को जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश देते हैं। उक्त जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट तुरन्त जिलाधीश लाहौल स्पिति को दे देंगे।

शिमला-2, 23 नवम्बर, 1984

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0(5)-57/83.--क्योंकि श्री काले राम प्रधान, ग्राम पंचायत कथियारी, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी जांच करने पर निम्नलिखित कृत्यों के लिए दोषी पाये गये हैं:--

1. 7-6-81 को स्कूल भवन बालू पर 4,000 रु0 चै तदोपरान्त 2,000 रु0 तथा 4-1-82 को सिलाई केन्द्र पर 900 रु0 बिना बजट प्रावधान के व्यय करना ।

2. 26-3-80 को सहकारी बैंक मण्डी से चै0 संख्या 3325234 द्वारा मु0 200 रु0 निकालना तथा पंचायत रोकड़ में जमा न करना,

3. पंचायत बागीचे हेतु मु0 10,040 रु0 दिनांक 7-8-81 को प्राप्त किये परन्तु रोकड़ में 30-12-81 को जमा करके इस राशि का अल्पकालीन दुरुपयोग करना,

4. पंचायत बागीचे की झाड़ियों की कटान की रसीद 16-3-80 की है जबकि रोकड़ में व्यय 7-10-80 को दर्शाया गया है,

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री काले राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कथियारी, जिला मण्डी को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 19 1 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत कथियारी के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए । उसका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति से एक माह के भीतर-2 इस निदेशालय में जिलाधीश मण्डी के मा यम से अनिवार्य तौर पर प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव, (पंचायत),
हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा, स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, 17 नवम्बर, 1984

क्रमांक पी0 सी0एच0-के0जी0आर0-8011-14—क्योंकि श्री मंहगा राम प्रधान, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, ने खण्ड विकास अधिकारी इन्दौरा से पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए 25,000 रु0 का अनुदान प्राप्त किया जिसकी विहित प्रपत्र पर न तो रसीद जारी की और न ही अनुदान की राशि को नियमानुसार पंचायत के लेखा में दर्ज किया तथा उन्होंने इस प्रकार राशि का दुरुपयोग किया है ।

और क्योंकि उक्त प्रधान, ग्राम पंचायत बसन्तपुर को उक्त अनियमितता के प्रति अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 4070-72 दिनांक 25-6-84 द्वारा एक पंजीकृत नोटिस दिया गया।

और क्योंकि उक्त श्री मंहगा राम प्रधान से प्राप्त उत्तर तथा उस पर खण्ड विकास अधिकारी इन्दौरा की टिप्पणी का अवलोकन पर उनका उत्तर निराधार एवं असन्तोषजनक पाया गया ।

अतः मैं, एच0 एल0 नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) व हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त है, उक्त श्री महंगा राम प्रधान, ग्राम पंचायत बसन्तपुर, को उपरोक्त अनियमितता के लिए प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि वह अपने पद का पूर्ण कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बसन्तपुर को तुरन्त सौंप दें ।

रजिस्टर्ड ए0 डी0:—श्री महंगा राम प्रधान,
ग्राम पंचायत बसन्तपुर,
तहसील नूरपुर ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 17 नवम्बर, 1984

संख्या पी0सी0एच0-के0जी0आर0-7922-27.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 9(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत के नियम 1971 के नियम 19(ए)(1) के अन्तर्गत निम्न सारणी के अनुसार विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, की ग्राम पंचायत वासा, ने महिला पंच को सहविकल्पित किया है ।

अतः मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 19(ए)(2) के प्रावधान के अधीन सह-विकल्पित महिला पंच के नाम का सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित करता हूं ।

सह-विकल्पित महिला पंच, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968 की धारा 10(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 19(ए)(3) के अन्तर्गत, अपने पद का कार्यभार सम्भालने से पूर्व अपने पद का शपथ ग्रहण करेगी और शपथ ग्रहण प्रधान तथा उनकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान द्वारा दिलाई जाएगी ।

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सहविकल्पित महिला पंच का नाम व पता
1	2	3	4
1.	नगरोटा सूरियां	वासा	श्रीमती सोमा देवी पत्नी श्री चैन सिंह, ग्राम वासा, डा0 नगरोटा सूरियां तहसील देहरा, जिला कांगड़ा

हीरा लाल नाशाद,
अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा,
स्थित धर्मशाला ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।